पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विविध अपील संख्या– 1/2018

= =

नंद किशोर नंदन उर्फ नंद किशोर राय उर्फ पप्पु, पिता– उपेन्द्र राय, ग्राम–महिसौर, थाना– जनदाहा, जिला–वैशाली।

...... अपीलार्थी/ओं

बनाम

रीता देवी, पिता– जगत राय, ग्राम– बखरी बरारी, थाना– राजापाकर, जिला–वैशाली।

.... प्रत्यर्थी/ओं

= =

उपस्थितः

अपीलार्थीओं के लिए : श्री नचिकेता झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीओं के लिए : श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता

= =

अपील – पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता पति ने कहा कि उत्तरदाता मानसिक रूप से बीमार थीं और सामान्य रहने के लिए उन्हें दवाओं की आवश्यकता थी। यह बात विवाह के समय नहीं बताई गई थी। उत्तरदाता पत्नी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और यह कि वास्तव में अपीलकर्ता ही उन्हें दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे।

निर्णय –

अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि उत्तरदाता मानसिक रूप से बीमार थीं, क्योंकि उत्तरदाता का इलाज करने वाले डॉक्टर की गवाही नहीं ली गई। (पैरा 14)

चिकित्सा रिपोर्ट किसी भी असामान्यता का संकेत नहीं देती। (पैरा 15)

अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। (पैरा 19)

अपीलकर्ता ने उत्तरदाता पत्नी के साथ तीन वर्षों से कम समय तक साथ नहीं बिताया, लेकिन तीन वर्षों के बाद वह यह बचाव करने लगा कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही पत्नी का व्यवहार बहुत असामान्य था और अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं कि उनके साथ रहना संभव नहीं। (पैरा 19)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 20)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तारीखः 10–07–2024

वर्तमान अपील, हाजीपुर के वैशाली स्थित पारिवारिक न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा तलाक वाद संख्या 39/2011 में पारित दिनांक 23.09.2017 के निर्णय तथा दिनांक 07.10.2017 की डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी–पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. वर्तमान मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने विपक्षी/प्रतिवादी के साथ दिनांक 20.04.2007 को प्रतिवादी के पैतृक घर पर विवाह किया था। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी बचपन से ही मंद बुद्धि थी तथा उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, क्योंकि वह किसी पर हमला कर देती थी तथा प्रतिवादी द्वारा किए गए असामान्य आचरण की जानकारी अपीलार्थी के पिता को नहीं दी गई तथा उक्त तथ्य को छिपाकर प्रतिवादी का विवाह अपीलार्थी के साथ संपन्न किया गया। विवाह के पश्चात प्रतिवादी/पत्नी (रीता देवी) अपीलार्थी के घर आई तथा उसके व्यवहार को अपीलार्थी पक्ष ने देखा जो सामान्य नहीं था। वह अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। उसका व्यवहार इतना असामान्य था कि उसे नशे की हालत में माना गया। उसके अजीब व्यवहार की जानकारी प्रतिवादी के पिता को दी गई, जो वहां आए तथा दवा देने के बाद वह सामान्य हो गई। यह कहा गया है कि भाई और पिता ने प्रतिवादी को दवा दी और जब प्रतिवादी द्वारा केमिस्ट से ली गई दवा के संबंध में पूछताछ की गई, तो पता चला कि वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी। यह आगे कहा गया है कि प्रतिवादी को उसके पिता ले गए थे। दिनांक 20.04.2010 को प्रतिवादी को अपीलकर्ता के घर छोड़ दिया गया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी का इलाज शुरू किया लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। दिनांक 06.03.2011 को प्रतिवादी के पिता और दो भाई अपीलकर्ता के घर आए और दिनांक 07.03.2011 को उन्होंने प्रतिवादी और उसके गहने और कपड़े छीन लिए। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी के पागलपन भरे व्यवहार के कारण अपीलकर्ता मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहती थी। यह भी कहा गया है कि शादी के चार साल बीत जाने के बावजूद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और प्रतिवादी के क्रूर और पागलपन भरे व्यवहार के कारण अपीलकर्ता को अपनी जान का खतरा है।

3. नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी उपस्थित हुए और न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

4. प्रतिवादी ने अपनी मानसिक स्थिति के संबंध में सभी आरोपों से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किया था। यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने रिंकी कुमारी से पुनर्विवाह किया है और उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इस बात से इनकार किया गया है कि प्रतिवादी का व्यवहार आक्रामक है और वह पागलपन से पीड़ित है। यह भी विशेष रूप से अस्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी का इलाज किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऑल्टो कार की मांग को पूरा न करने के कारण, प्रतिवादी को उसके वैवाहिक घर में प्रताड़ित किया गया और उसके पति ने रिंकी कुमारी के साथ शादी कर ली। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मनगढ़ंत दस्तावेजों पर तलाक का मामला दायर किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवार न्यायालय अपीलार्थी की ओर से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि परिवार न्यायालय ने प्रत्यर्थी /विरोधी पक्ष के पिता द्वारा लिखे गए दस्तावेज़ की वास्तविकता की जांच नहीं की । उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी एक मानसिक रोगी है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने का इरादा रखती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अभिलेख पर उपलब्ध दलील के आधार पर मामले को साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसने लिखित बयान के साथ–साथ अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से इनकार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दलील के आधार पर प्रतिवादी की मानसिक बीमारी को साबित करने का कोई आधार नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया और जवाबी हलफनामे के कंडिका–7 में यह कहा गया है कि अपीलार्थी को बकाया राशि रु 2,47,000/– का भुगतान प्रत्यर्थी को भरण–पोषण के रूप में करना होगा। लेकिन उसके आचरण को अच्छी तरह से देखा जा सकता है जब वह स्वयं प्रत्यर्थी को भरण–पोषण के बकाया का भुगतान नहीं कर रहा है और इसलिए, वह किसी भी

राहत का हकदार नहीं है क्योंकि अपीलार्थी स्वयं गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री उचित और कानूनी है और इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अपीलार्थी की ओर से पाँच गवाहों से पूछताछ की गई है। वे हैं अभि.सा.–1/अनिल कुमार आर्य, अभि.सा.–2/अशोक कुमार, अभि.सा.–3/विजय दास, अभि.सा.–4/नंद किशोर नादन, जो स्वयं अपीलार्थी हैं और अभि.सा.–5/उपेंद्र राय (अपीलार्थी के पिता)। अपीलार्थी ने कुछ दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है जिन्हें अतिरिक्त प्रदर्श– 1, प्रदर्श– 2 और प्रदर्श– 3 के रूप में चिह्नित किया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने पाँच गवाहों से भी पूछताछ की है। वे हैं विपक्ष सा.–1/रीता देवी जो स्वयं प्रतिवादी हैं, विपक्ष सा.–2/फुलझरी देवी, विपक्ष सा.–3/मनोज राय, विपक्ष सा.–4/अर्जुन राय और विपक्ष सा.–5/श्याम बाबू राय हैं। इसके बाद, अदालत ने अपीलार्थी द्वारा दायर तलाक याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान विविध अपील को प्राथमिकता दी है।

8. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, प्रश्न उठता हैः–

क्या अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित है और इस हद तक कि अपीलकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती है या नहीं?

9. अभि. सा. 4, जो स्वयं अपीलकर्ता है, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। परीक्षण के दौरान उसने विवाह की बात स्वीकार की है। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि विवाह के बाद प्रतिवादी उसके साथ पत्नी के रूप में रहती रही तथा प्रारम्भ से ही उसने असामान्य व्यवहार किया जैसे आग लगाकर आत्महत्या करना, छत से कूदना, घर से बाहर जाना आदि। उसने आगे कहा कि प्रतिवादी–पत्नी वर्ष 2011 से अपने पिता के घर में रहती थी तथा अपीलकर्ता के साथ रहने से इंकार कर दिया तथा अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने कभी भी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर नहीं की तथा स्पष्ट रूप से कहा कि वह प्रतिवादी–पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। उसने अपनी पत्नी से तलाक मांगा तथा कहा कि प्रतिवादी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तथा उसने उसका इलाज डा. विनय कारक, पटना से कराया। न्यायालय के प्रश्न पर उसने कहा कि आमतौर पर प्रतिवादी सामान्य व्यवहार रखती थी।

10. अभि. सा.–1, अभि. सा.–2 और अभि. सा.–3 ने प्रतिवादी की मानसिक बीमारी के आरोप के संबंध में अभि. सा.–4 द्वारा बताए गए तथ्यों का समर्थन किया है। न तो अभि. सा.–1 और न ही अभि. सा.–2 ने प्रतिवादी के असामान्य व्यवहार की तारीख और समय के बारे में गवाही दी है। अभि. सा.–3 ने यह भी कहा कि उसका दिमाग सामान्य नहीं है।

11. अभि. सा.–5, जो अपीलकर्ता का पिता है, ने कहा कि प्रतिवादी का 2008 से 2011 तक डॉ. विनय कारक द्वारा इलाज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी के पिता ने एकरारनामा पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी कमजोर दिमाग की है और उक्त दस्तावेज को आपत्ति के साथ स्वीकार किया गया था। जिरह के दौरान, अभि. सा.–5 ने कहा कि प्रतिवादी तीन साल से उसके घर आती थी और उसने स्वीकार किया कि डॉक्टर ने प्रतिवादी की बीमारी के बारे में नहीं बताया और वह सबूत के लिए डॉ. विनय कारक को पेश नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समझौते से पता चलता है कि वह और प्रतिवादी के पिता एक पक्ष हैं और उक्त समझौता उनकी पीठ पीछे तैयार किया गया था और उन्होंने उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। अभि. सा.–5 मानसिक बीमारी के आरोप को साबित करने के लिए डॉक्टर को गवाह के रूप में पेश करने में असमर्थ था और समझौते में अपीलकर्ता के पिता और प्रतिवादी के पिता को एक पक्ष के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उक्त समझौते पर अपीलकर्ता के पिता के हस्ताक्षर नहीं थे, जैसा कि उन्होंने जिरह के दौरान स्वीकार किया था।

12. विपक्ष सा.–1/रीता देवी स्वयं प्रतिवादी हैं। उन्होंने विवाह की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। अन्य गवाहों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि अपीलकर्ता ने दूसरी महिला से दूसरी शादी की और उसके साथ रहता था। प्रतिवादी ने स्वयं कहा है कि अपीलकर्ता उसे जीवन के मार्ग से हटाना चाहता था क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं दूसरी शादी की थी।

13. अभिलेख के अवलोकन से विचारणीय प्रश्न यह हैः

क्या प्रत्यर्थी इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित है और इस हद तक कि अपीलार्थी से प्रत्यर्थी के साथ रहने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है या नहीं?

14. अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने प्रत्यर्थी की मानसिक बीमारी को साबित नहीं किया है क्योंकि प्रत्यर्थी का इलाज करने वाले डॉक्टर

की जांच नहीं की गई है। अपीलार्थी की ओर से एक इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रदर्श–1 के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श–1 अपीलार्थी द्वारा साबित नहीं किया गया है क्योंकि वह उक्त इकरारनामा का पक्षकार नहीं है और अभि. सा.–5 ने स्वयं कहा है कि उक्त दस्तावेज़ उसके सामने तैयार नहीं किया गया है, बल्कि यह उसकी पीठ के पीछे तैयार किया गया था और वह उक्त दस्तावेज़ का पक्षकार नहीं है और उक्त दस्तावेज़ का पक्षकार पहले ही उक्त आरोप का खंडन कर चुका है। प्रदर्श–2 डॉक्टर का चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन है लेकिन उक्त दस्तावेज़ के लेखक की जांच नहीं की गई है और उक्त दस्तावेज़ के लेखक की गैर–जांच के अभाव में, कानून की नज़र में इसका कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। प्रदर्श–3 एक चिकित्सा रिपोर्ट है जो प्रमाणित दस्तावेज नहीं है और उक्त दस्तावेज के लेखक की भी जांच नहीं की गई है जिसका कानून की नजर में कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। इस तरह, सभी दस्तावेजी प्रदर्शनों का प्रतिवादी के मानसिक विकार को साबित करने के लिए कानून की नजर में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, जो अपीलार्थी द्वारा तलाक की याचिका में आरोप लगाया गया है।

15. अपीलार्थी–पति द्वारा दावा किया गया एकमात्र आधार यह है कि पत्नी अस्वस्थ दिमाग की है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनय करक के पर्चे और अपीलार्थी द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट साबित नहीं हुई है। इसके अलावा, चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श–3) किसी भी असामान्यता का संकेत नहीं देती है।

16. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (iii) में उल्लिखित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान जो निम्नानुसार हैः–

> *"13.तलाक–(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष–*
>
> *(iii) असाध्य रूप से अस्वस्थ दिमाग का रहा है, या लगातार या बीच–बीच में इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहा है और इस हद तक कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की यथोचित उम्मीद नहीं की जा सकती है।*

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम नारायण गुप्ता बनाम श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता*** के मामले में (1988) 4 एस. सी. सी. 247 में प्रतिवेदित किया है की :–

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (iii), 1955 केवल किसी भी स्तर के मानसिक विकार के अस्तित्व को विवाह के विघटन को उचित ठहराने के लिए कानून में पर्याप्त नहीं बनाता है। जिस संदर्भ में 'मन' और 'मानसिक विकार' की अस्वस्थता के विचार विवाह के विघटन के आधार के रूप में अनुभाग में होते हैं, उसके लिए 'मानसिक विकार' की डिग्री के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसकी डिग्री ऐसी होनी चाहिए कि राहत पाने वाले पति या पत्नी से दूसरे के साथ रहने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है। सभी मानसिक असामान्यताओं को डिक्री देने के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के ***श्रीमती रीता रॉय बनाम सीतेश चंद्रा*** मामले में एआईआर 1982 कैल 138 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्न प्रकार टिप्पणी की थी:–

..... सिज़ोफ्रेनिया के प्रत्येक मामले पर अपने गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

..... उपरोक्त खंड (iii) के अनुसार, डिक्री प्राप्त करने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है। संबंधित पक्ष अस्वस्थ दिमाग का होना चाहिए या बीच–बीच में सिज़ोफ्रेनिया या मानसिक विकार से पीड़ित होना चाहिए। साथ ही वह बीमारी इस तरह की और इस हद तक होनी चाहिए कि दूसरे पक्ष से उचित रूप से उसके साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए केवल उस खंड का एक तत्व डिक्री देने के लिए अपर्याप्त है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोल्लम चंद्र शेखर बनाम कोल्लम पद्म लता के मामले (2014) 1 एस. सी. सी. 225 में उसी सिद्धांत को दोहराया है जिस पर राम नारायण गुप्ता बनाम श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता में चर्चा की गई थी।

19. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने तलाक याचिका में स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्रतिवादी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसका व्यवहार सामान्य नहीं है, लेकिन वह डॉक्टर द्वारा प्रमाणित कागज का कोई भी दस्तावेजी टुकड़ा00 पेश करने में विफल रहा है। अपीलार्थी ने उस चिकित्सक का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो प्रत्यर्थी की मानसिक बीमारी का इलाज कर रहा है। इस तरह, तलाक याचिका में अपीलार्थी

द्वारा लगाए गए सभी आरोपों में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (iii) के तत्वों का अभाव है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवाह वर्ष 2007 में हुआ था और अपीलार्थी ने स्वयं आरोप लगाया था कि उसका व्यवहार असामान्य है और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है क्योंकि शुरू से ही उसने खुद को आग लगाकर, छत से कूदकर, घर से बाहर जाकर आत्महत्या करने जैसा असामान्य व्यवहार किया था, लेकिन यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि विवाह वर्ष 2007 में हुआ था और तलाक याचिका में तीन साल के अंतराल के बाद दायर किए जाने के बावजूद, वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि वह इस तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी वर्ष 2011 में तलाक याचिका दायर करने से बहुत पहले अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी पहले ही अपना घर छोड़ चुकी है लेकिन उसने अपनी पत्नी को लाने के लिए कोई पीड़ा नहीं ली है और उसने स्वीकार किया है कि वह खुद अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह, अपीलार्थी ने स्वयं अपनी पत्नी के साथ सहयोग नहीं करने में गलती की है और उसने अपनी गलती को दूर करने के लिए एक अच्छी तरह से गणना की गई युक्ति विकसित की है जिसमें प्रतिवादी–पत्नी और अन्य गवाहों ने कहा है कि अपीलार्थी ने स्वयं दूसरी शादी का इकरारनामा कर लिया है और अपीलार्थी ने स्वयं मानसिक बीमारी के आधार पर तलाक की मांग करके प्रतिवादी–पत्नी को छोड़ने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया है जो किसी भी कल्पना से परे है। इस तथ्य के आलोक में कि अपीलार्थी स्वयं प्रत्यर्थी –पत्नी के साथ कम से कम तीन वर्ष समान स्थिति में रहता था, लेकिन तीन वर्ष जीवित रहने के बाद वह बचाव करता है कि वैवाहिक जीवन की प्रारंभिक तिथि से पत्नी का व्यवहार बहुत असामान्य था और अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ रहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह इस तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है कि वह उसके साथ नहीं रह सकता है। अपीलार्थी ने स्वयं यह साबित नहीं किया है कि उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह साबित नहीं किया है कि उनकी पत्नी का कैसा उपचार किया जाता है और उसकी पत्नी को कितने वर्षों का इलाज दिया जाता है और उसकी पत्नी का इलाज ठीक हो सकता है या नहीं। उन्होंने डॉक्टर द्वारा प्रमाणित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादी इस तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लेखक के साथ–साथ रिपोर्ट की भी जांच नहीं की गई है। इस तरह, अपीलार्थी ने अपीलार्थी और उसके माता–पिता के प्रति आक्रामक व्यवहार के साथ–साथ उसके पागल व्यवहार के बारे में प्रतिवादी के खिलाफ मामला साबित नहीं किया है।

20. पूर्वगामी पैराग्राफ में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है जो विवादित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देती है।

पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है। वर्तमान विविध अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, जिसमें परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले की पुष्टि की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहज़ाद/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।